



संख्या-09/2021/336/77-3-2021-10(बजट)/2018

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

यूपीडा, पर्यटन भवन,

गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 04 फरवरी, 2021

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण कार्य हेतु विभागीय बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-3133/यूपीडा/पूर्वांचल/2020 दिनांक 19.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे 24-वृहद निर्माण कार्य" मद में से गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक के आरओडब्ल्यू में पड़ने पड़ने वाले एचटी टावर/लाइनों की शिफ्टिंग/उद्घीकृत किये जाने हेतु पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड को भुगतान किये जाने हेतु ₹0 90.00 करोड़ (₹0 नब्बे करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि विभागीय बचतों से संलग्न पुनर्विनियोग/प्रपत्र बी०एम०-9 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृत करने की सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि आहरित करके यूपीडा के बैंक खाते में रखी जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि का आहरण बैंक खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
- (3) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाले धनराशि का औचित्य प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- (6) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (7) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

.2.

(8) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दि० 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दि० 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020, 18.05.2020 एवं 29.09.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़का तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़का तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य" मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1-149/दस-2020-231/2020, दि० 24.03.2020 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-प्रपत्र बी०एम०-९

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-09/2021/336(1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
7. वित्त ई-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
8. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/नियोजन-4
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ बजट मैनुअल के प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या- 07

विभाग का नाम- औद्योगिक विकास विभाग

(धनराशि लाख रू0 में)

निधियो से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15-डिजिट कोड में)	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण काय 04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे 24- वृहत निर्माण कार्य (15 अंको का लेखाशीर्ष-5054033370424)	140000	52500	16500	16500	123500
योग :-	140000	52500	16500	16500.00	123500.00
निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15-डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य- 07- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना- 60-भूमि क्रय' (15 अंको का लेखाशीर्ष-5054033370760)	49888	57388	7500	7500	57388
योग :-	49888	57388	7500	7500	57388
लेखा शीर्ष (15-डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य- 07- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना- 24- वृहत निर्माण काय (15 अंको का लेखाशीर्ष-5054033370724)	17600	26600	9000	9000	26600
योग :-	17600	26600	9000	9000	26600
महायोग :-	67488	83988	16500	16500.00	83988.00

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

01. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण काय 04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में बचत सम्भावित है।
02. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित अधिक व्यय का कारण- "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना -60 वृहद निर्माण कार्य' में अधिक व्यय की सम्भावना है।
03. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट बजट मैनुअल के प्रस्तर -150,151,154 व 156 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या —आर0ई0सं0 307 / ई—6 / 2021 दिनांक 30.01.2021

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0
इलाहाबाद।

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव
औद्योगिक विकास विभाग

विवेक त्रिपाठी
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

संख्या —206(1) / 77-3-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़, गोरखपुर एवं अम्बेडकर नगर।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—6
5. वित्त (आय—व्यय) अनुभाग—01 तीन प्रतियों में।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव